न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 120/2018
3. उनवान : मदन खां
   1. रहमत पत्नी मदन खां
   2. जमाल खां पुत्र मदन खां
   3. कासीम खां पुत्र मदन खां

   निवासी खातवाडी कलां तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

   बनाम

   नायब तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 29.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) श्री हनुमान प्रसाद चौधरी प्रार्थी की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार।

निर्णय

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 903 दिनांक 26.10.2015

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि खसरा नं. 444 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम खातवाडी कलां पटवार हल्का सिनोदिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में जो आदेश दिनांक 28.09.2015 को उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने पारित किया उसकी राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील संख्या 492 दिनांक 8.10.2015 को प्रस्तुत कर दी थी तथा उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश दिनांक 28.09.2015 की एक माह अपील की अवधि तक स्थगन के बावजूद उक्त आदेश की अनुपालना करने में अहम कानून की भूल की है। इसलिए नायब तहसीलदार फुलेरा का बाबत् नामा. सं. 903 में आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। उक्त भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश दिनांक 28.09.2015 की अपील में स्वयं तहसीलदार फुलेरा पक्षकार है तथा दिनांक 14.10.2015 द्वारा उक्त मूल पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी को पत्रावली तलब करवा ली एवं रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी करके दिनांक 20.10.2015 को अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली आने के बाद एवं तहसीलदार को तामिल होने के बाद नामान्तरकरण उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया करने एवं अपीलान्ट को खातेदारी को सिवाय चक करने में अहम कानूनी भूल की है। उक्त नामान्तरकरण का आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलान्ट को नोटिस ही जारी किया और ना ही सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के तथाकथित आदेश दिनांक 28.09.2015 की क्रियान्विति जब राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने स्थगित कर दी तो उक्त स्थगन आदेश की तहरीर दिनांक 29.10.2015 को तहसीलदार फुलेरा को दे दी। नायब तहसीलदार को स्थगन की जानकारी के बावजूद पीछे की तारीख 26.10.2015 में उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करन में भूल एवं सारी कार्यवाही दिनांक 28.10.2015 के बाद की है, इसलिये भी निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण 903 दिनांक 28.10.2015 डिक्री आदेश बताया है जबकि दिनांक 28.10.2015 को उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित की जा चुकी थी जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 में जमाबन्दी में लाल स्याही से नोट अंकन है तथा उसके अंकन के बाद उक्त जमाबन्दी में नोट राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2015 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाती है, का नोट लगाया जिसकी प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का सिंनोदिया से दिनांक 4.11.2015 को प्राप्त करके की है। इससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण दिये गये स्थगन के बाद पीछे कर तारीख 26.10.2015 को

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

स्वीकार करने में अहम कानूनी भूल की है। उक्त अपीलाधीन आदेश दौराने अपील बैकडोर एन्ट्री की है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फुलेरा द्वारा पारित आदेश बाबत नामान्तरकरण संख्या 903 खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये। दौराने विचारण अपीलार्थी की मृत्यु होने पर संशोधित उनवान के जरिये उनके वारीसान को रिकार्ड पर लिया गया।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलान्ट अपीलाधीन विवादित भूमि खसरा नं. 444 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम खातवाडी कलां पटवार हल्का सिनोदिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) का पेश किया। जिसमें दिनांक 28.09.2015 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट की कब्जे काश्त की भूमि में से नया रास्ता कायम किया गया। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में अपील संख्या 492 दिनांक 8.10.2015 को प्रस्तुत कर दी थी तथा उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश दिनांक 28.09.2015 की एक माह अपील की अवधि तक स्थगन के बावजूद उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण सं. 903 दिनांक 26.10.2015 खोला गया। उक्त अपील में तहसीलदार फुलेरा पक्षकार है तथा मूल पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी को पत्रावली तलब करवा ली एवं तहसीलदार को तामिल होने के बाद नामान्तरकरण खोला जाना अवैधानिक है। अपीलाधीन नामान्तरकरण का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलान्ट को नोटिस ही जारी किया और ना ही सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया। नायब तहसीलदार को स्थगन की जानकारी के बावजूद स्थगन से पूर्व की तारीख 26.10.2015 में उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण 903 दिनांक 28.10.2015 डिक्री आदेश बताया है जबकि दिनांक 28.10.2015 को उक्त आदेश की कियान्विति को स्थगित की जा चुकी थी जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 में जमाबन्दी में लाल स्याही से नोट अंकन है तथा उसके अंकन के बाद भी नामान्तरकरण खोला गया। अतः उक्त नामान्तरकरण संख्या 903 दिनांक 26.10.2015 पूर्ण रुप से विधि विरूद्ध खोला गया है। अतः नायब तहसीलदार फुलेरा द्वारा पारित आदेश बाबत नामान्तरकरण संख्या 903 खारिज फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) का पेश होने पर निर्णय दिनांक 28.09.2015 पारित किया गया। जिसकी पालना में नियमानुसार नामान्तरकरण संख्या 903 दिनांक 26.10.2015 खोला गया। सम्पूर्ण कार्यवाही विधि अनुसार की गई है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में स्थगन आदेश दिनांक 28.10.2015 को जारी किया गया जबकि नामान्तरकरण की कार्यवाही दिनांक 26.10.2015 को ही की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी में किसी न्यायालय के स्थगन आदेश नहीं होने का अंकन भी किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

हम अपीलार्थी की अपील, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा वकील अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या, 903

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

दिनांक 26.10.2015 अधीन न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत पारित निर्णय की पालना में दर्ज कर निर्णित किया गया है जिसमें कोई वैधानिक अथवा प्रक्रियागत त्रुटि ज्ञात नहीं होती है। जहां तक अपील अवधि अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग पर्याप्त समय पश्चात कार्यवाही की है तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय पश्चातवर्ती है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु विचारणीय नहीं है। साथ ही अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन की पूर्व दिनांकों में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से नाकाबिलेगौर है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील सारहीन होने से ग्राह्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।